रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2003/भाद्र 6, 1925
No. 415] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2003/BHADRA 6, 1925

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पूंजी बाजार, विदेशी वाणिज्यिक उधार तथा पेंशन सुधार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2003

सा.का.नि. 696(अ).—प्रतिभूति संविदा(विनियमन) अधिनियम, 1956(1956 का 42) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्रतिभूति संविदा(विनियमन) नियमावली, 1957 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है ; नामतः--

1. (1) इन नियमों का नाम प्रतिभूति संविदा(विनियमन) संशोधन नियमावली, 2003 है।
   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 में, नियम 8 में,
   (क) खंड (च) में उप-नियम (1) में :-

   (i) शब्द "प्रतिभूतियां" के पश्चात शब्द "अथवा वस्तु व्युत्पन्न" सन्निविष्ट किए जाएंगे ;
   (ii) परन्तुक के लिए, निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जाएगा, नामतः--

"बशर्ते कि कोई भी सदस्य वस्तु व्युत्पन्नों में व्यवसाय नहीं करेगा, सिवाए एक पृथक कंपनी की स्थापना करके जो समय-समय पर वायदा बाजार आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विनियामक अपेक्षाओं जैसे निवल मूल्य, पूंजी पर्याप्तता, मार्जिनों और उद्भासन मानदंडों का अनुपालन करेगी :

आगे यह शर्त भी है कि यहां निहित कुछ भी उपनियम (4) के परंतुक के खंड (क) से (ट) में उल्लिखित किन्हीं निगमों, निगम निकाय, कंपनियों या संस्थाओं पर लागू नहीं होगा।"

(ख) खंड (च) में उप-नियम (3) में :-

(i) शब्द "प्रतिभूतियां" के पश्चात निम्नलिखित शब्द "अथवा वस्तु व्युत्पन्न" सन्निविष्ट किए जाएंगे ;

(ii) मद (iii) के लिए, निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"यहां निहित कुछ भी किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों को प्रभावित नहीं करेगा जो उप-नियम (4) के परन्तुक की मदों (क) से (ट) में उल्लिखित निगम, निगम निकाय, कंपनियां या संस्थाएं हैं ";

(ग) उप-नियम (4) में :-

(i) परंतुक में शब्दों "निम्नलिखित निगमों" के स्थान पर "निम्नलिखित निगम, निगम निकाय" शब्द सन्निविष्ट किए जाएंगे।

(ii) मद (छ) के पश्चात, निम्नलिखित मदें सन्निविष्ट की जाएंगी, नामतः-

(ज) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934(1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में शामिल कोई भी बैंक।

(झ) भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) के अन्तर्गत स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक।

(ञ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम, 1981 (1981 का 61) के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा

(ट) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक।

[फा. सं. 1/55/एसई/2001]

यू.के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :- मूल नियमावली भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, पृष्ठ 619 दिनांक 21.2.1957 में प्रकाशित एसआरओ सं0 576, दिनांक 21.2.1957 के तहत जारी की गई थी तथा इसे तदुपरांत भारत के राजपत्र-II, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 22.7.1967 से प्रकाशित दिनांक 14.7.1967 की संशोधन अधिसूचना सा.का.नि.1096, भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में पृष्ठ 1556 पर प्रकाशित सा.का.नि.685 दिनांक 3.6.1972, सा.का.नि. 959, दिनांक 8.8.1972, सा.का.नि.2641, दिनांक1.11.1975, सा.का.नि.1083, दिनांक 1.11.1985, सा.का.नि.1070 (अ), दिनांक 15.11.1988, सा.का.नि.666(अ) दिनांक 20.7.1987, सा.का. नि.870 (अ) दिनांक 13.11.1992, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 20.9.1993 से

प्रकाशित सा.का.नि.617(अ) दिनांक 20.9.1993,भारत के राजपत्र,असाधारण,भाग-II खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि.749(अ) दिनांक 12.10.1994,सा.का.नि.790(अ) दिनांक 7.11.1994,भारत के राजपत्र,असाधारण,भाग-II खंड 3,उप-खंड (i) में दिनांक 9.3.1995 से प्रकाशित, सा.का.नि.121 (अ) दिनांक 9.3.1995,भारत के राजपत्र असाधारण,भाग-II,खंड 3,उप-खंड (i) में प्रकाशित, सा.का.नि.291(अ) भारत के राजपत्र असाधारण,भाग-II ,खंड 3,उप-खंड (i) में प्रकाशित, सा.का.नि.581 (अ) दिनांक 23.12.1996,भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II , खंड 3,उप-खंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 654 (अ) दिनांक 8.8.2000 तथा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II , खंड 3,उप-खंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 415 (अ) दिनांक 7.6.2001 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Capital Markets, External Commercial Borrowings and Pension Reforms Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2003

G.S.R. 696(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, namely:-

1. (1) These rules may be called the Securities Contracts (Regulation) Amendment Rules, 2003.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, in rule 8,-

(a) in sub-rule (1), in clause (f) –

(i) after the words "securities", the words "or commodity derivatives" shall be inserted;

(ii) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that no member may conduct business in commodity derivatives, except by setting up a separate company which shall comply with the regulatory requirements, such as, networth, capital adequacy, margins and exposure norms as may be specified by the Forward Market Commission, from time to time:

Provided further that nothing herein shall be applicable to any corporations, bodies corporate, companies or institutions referred to in items (a) to (k) of the proviso to sub-rule (4).";

(b) in sub-rule (3), in clause (f),-

(i) after the words "securities", the words "or commodity derivatives" shall be inserted;

(ii) for the item (iii), the following item shall be substituted, namely:-

"nothing herein shall affect members of a recognised stock exchange which are corporations, bodies corporate, companies or institutions referred to in items (a) to (k) of the proviso to sub-rule (4).";

(c) in sub-rule (4),-

(i) in the proviso, for the words "following corporations," the words "following corporations, bodies corporate" shall be substituted;

(ii) after item (g), the following items shall be inserted, namely:-

"(h) any bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(i) the Export Import Bank of India, established under the Export Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981);

(j) the National Bank for Agriculture and Rural Development, established under the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981) and

(k) the National Housing Bank, established under the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987).".

[F.No. 1/55/SE/2001]

U. K. SINHA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were issued under SRO No. 576 dated 21.2.1957 published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, page 619 dated 21.2.1957 and were subsequently amended by the amendment Notification GSR 1096 dated 14.7.1967 published in the Gazette of India II, Part II section3, sub-section (i) w.e.f. 22.7.1967, GSR 685 dated 3.6.1972 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub section (i) page 1556, GSR 959 dated 8.8.1972, GSR 2641 dated 1.11.1975, GSR 1083 dated 11.11.1985, GSR 1070 (E) dated 15.11.1988, GSR 666 (E) dated 20.7.1987, GSR 870 (E) dated 13.11.1992, GSR 617(E) dated 20.9.1993 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub section (i) w.e.f. 20.9.1993, GSR 749(E) dated 12.10.1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub section (i), GSR 790 (E) dated 7.11.1994, GSR 121 (E) dated 9.3.1995, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, section 3, sub section (i) w.e.f. 9.3.1995, GSR 291 (E) dated 27.3.1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub section (i), GSR 581(E) dated 23.12.1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub section (i), GSR No 654(E) dated 8.8.2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub section (i) and GSR 415(E) dated 7.6.2001 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub section (i).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.